



सत्यनारायण प्रसाद

## ग्राम विद्यालय – इसका परिवर्तित कार्य क्षेत्र

शोध अध्येता- समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना (विहार) भारत

Received-17.12.2023,

Revised-20.12.2023,

Accepted-27.12.2023

E-mail: aaryvart2013@gmail.com

**सांशः** ग्राम विद्यालय ग्रामीण समाज की एक अनिवार्य संस्था है। इसे ग्रामीण जीवन को आधारशिला कहें तो प्रत्युक्ति नहीं होगी। यही एक ऐसा केन्द्र है, जहाँ समुदाय की मानवीय शक्तियों के बहुमुखी विकास का अवसर मिलता है। समुदाय की शिक्षा-दीक्षा द्वारा सदस्यों को अपने भौतिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिये तैयार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में ग्राम विद्यालय पारिवात्य प्रभाव के कारण इस लक्ष्य से दूर रहा और समुदाय को यह पूर्णरूप से अपनी सेवाएँ प्रदान नहीं कर सका। इसने अपना क्षेत्र केवल बालकों को अक्षर ज्ञान एवं सैद्धान्तिक ज्ञान देने तक सीमित कर लिया। समुदाय के समस्त लोगों की एवं जीवन की समस्त शिक्षा इस बीच में उपेक्षित रही।

**कुंजीभूत शब्द-** ग्राम विद्यालय, ग्रामीण समाज, अनिवार्य संस्था, आधारशिला, समुदाय, मानवीय शक्तियों, बहुमुखी विकास।

ग्राम विद्यालय को समुदाय की आधारभूत एवं सर्वाधिक उपयोगी संस्था बनाने के लिये समय-समय पर प्रयत्न भी किये जाते रहे। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत बेसिक (बुनियादी) शिक्षा के ढाँचे को भारत में स्वीकार किया गया। ग्रामीण जीवन की परम्पराओं एवं प्रथाओं के अनुकूल बेसिक शिक्षा का रूप विकसित किया गया। इसके निम्न बातों को आधार बनाया गया - (1) निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, (2) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, (3) कार्य एवं हस्तकला के द्वारा शिक्षा ताकि विद्यालय स्वयं उत्पादन का केन्द्र बनकर व्यय स्वयं निकाल सके, (4) आत्मनिर्भरता की भावना एवं योग्यता उत्पन्न करना ताकि पाठशाला से निकलने के बाद नौकरी के लिये दर-दर भटकना न पड़े, (5) नागरिक आदर्शों एवं कर्तव्यों की शिक्षा, (6) स्वतंत्र एवं रचनात्मक शिक्षा जिसमें रटना, परीक्षा पद्धति आदि आधार न होकर आत्म अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक क्रियाएँ आधारभूत होंगी एवं (7) अहिंसा पर आधारित।

गाँवों के पर्यावरण के उपयुक्त बेसिक शिक्षा को पूर्णतः सामुदायिक जीवन की शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया पर अभी तक इसका पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। यद्यपि बेसिक शिक्षा के प्रादर्श को अपनाने से यह समुदाय के जीवन की उन्नति में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती है, पर इसका क्षेत्र केवल बालकों तक ही सीमित है। इसके द्वारा आनेवाली पीढ़ी का ही निर्माण किया जा सकता है। पर प्राज गाँवों में सर्वांगीण विकास की योजनाएँ चल रही हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिये गाँव वाले जागरूक बने यह आज देश के लिये अत्यावश्यक है। इस महती आवश्यकता का अनुभव गाँव वालों की उपयुक्त शिक्षा के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। गाँव वालों को जागरूक बनाने के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रणेता, कार्यकर्ता आदि गाँवों में जाते हैं, पर देश की जनसंख्या की दृष्टि से इन कार्यकर्ताओं की संख्या अत्यन्त कम है। निम्नतम अधिकारी ग्राम सेवक हैं जिसके क्षेत्र में भी दस गाँव आते हैं, पर इन दस गाँवों के प्रत्येक लोगों तक पहुँच रखना अकेले आदमी के लिये कठिन है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की दृष्टि ग्राम विद्यालय पर गई। ग्राम शिक्षक एवं ग्राम विद्यालयों का जितना सम्पर्क गाँव वालों से होता है, जितना गाँववाले उनका विश्वास करते हैं, बाहरी आदमी उसमें इतना सफल नहीं हो सकता। गाँव-गाँव में शिक्षक उपलब्ध हैं। शिक्षकों के पास गाँव वालों तक पहुँचने का मूल मंत्र समुदाय के बालकों की बड़ी सेना है। इनके उपयोग द्वारा गाँव के सर्वांगीण विकास में जो योग मिल सकता है वह अन्य किसी भी साधन द्वारा, करोड़ों रुपये खर्च करने से भी सम्भव नहीं है। ग्राम विद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को समुदाय तक विस्तृत कर उसे अपने विकास में तैयार कर सकता है। विकास कार्यकर्ताओं की सहायता लेकर वह इस कार्य को अत्यधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है घ इस नई जिम्मेदारी के द्वारा ग्राम विद्यालय के इतिहास में एक नया पृष्ठ जुड़ गया है। अपनी सेवाओं के द्वारा अब ग्राम विद्यालय ग्राम समुदाय की अनिवार्य, आधारभूत संस्था सिद्ध हो सकेगी।

**बुनियादी संस्थायें एवं गाँवों का सर्वांगीण विकास-** गाँव स्तर पर तीन आधारभूत बुनियादी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है- पंचायत, सहकारी समिति एवं ग्राम विद्यालय पंचायत गाँवों को प्रशासनिक रूप से स्वावलम्बी बनाती है, सहकारी समितियाँ गाँव की आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देती हैं एवं विद्यालय गाँव को सांस्कृतिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाता है। ग्रामीण विकास का कार्य गाँव को आर्थिक या प्रशासनिक दृष्टि से स्वावलम्बी बना देने से ही पूरा नहीं हो जाता है। सम्पूर्ण लोक जीवन जब तक आर्थिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं बन जाता है तब तक गाँव का विकास अपूर्ण हो रहता है। ये तीनों ही संस्थाएँ गाँव की बुनियादी संस्थाएँ हैं। तीनों का योग गाँव को विभिन्न दृष्टि से समृद्ध बनाना होगा। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति ग्रामीण विकास के संतुलन को बिगाड़ देगी।

**ग्राम विद्यालय की बढ़ती जिम्मेदारियाँ-** ग्राम विकास कार्य में लगे अनुभवी कार्यकर्ताओं, प्रशासकों, शिक्षा-आयोजकों आदि अब इस तथ्य को अनुभव करते जा रहे हैं कि ग्राम विद्यालय को केवल इसकी चाहरदीवारी में शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि समुदाय तक भी इसे अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहिये। समुदाय के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास की केन्द्रीय संस्था होने से यह समुदाय से अपने को उपेक्षित नहीं रख सकती। ग्रामीण विकास के लिये इसका शैक्षणिक संस्था के रूप में अत्यधिक महत्व है। अपनी सेवानों का चाहरदीवारी से बाहर समुदाय तक विस्तार करने में समुदाय का हित ही नहीं बल्कि स्वयं उसका भी हित निहित है। इसे समुदाय के हित के लिये नहीं बल्कि अपने हित के लिये अपनी सेवाएँ समुदाय को देनी चाहिये ताकि बदले में समुदाय का भी विद्यालय के विकास में योग नियमित मिलता रहेगा।



अभी तक समुदाय एवं विद्यालय दोनों पृथक-पृथक थे। शिक्षक एवं विद्यालया की क्रियाएँ विद्यालय में बन्द थी। विद्यालय एवं समुदाय की जीवन धारा पृथक-पृथक प्रवाहित हो रही थी। विद्यालय समुदाय के जीवन से उदासीन था, समुदाय भी विद्यालय के कार्यों को अपना नहीं समझकर सरकारी समझता आ रहा था। पर अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है। नई व्यवस्था में विद्यालय एवं समुदाय को निकट लाने एवं विद्यालय को समुदाय का सर्वाधिक उपयोगी एवं आवश्यक अंग बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विद्यालय समुदाय का एक अंग होने के नाते उससे पृथक नहीं रह सकता। पारस्परिक सहयोग एवं सहायता में ही दोनों का लाभ है। यदि विद्यालय की क्रियाओं से समुदाय उन्नत होता है तो बदले में समुदाय भी विद्यालय की उन्नति के लिए कटिबद्ध हो जायगा। इसी प्रकार समुदाय भी यदि विद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की पूर्ति में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है तो विद्यालय भी समुदाय की स्थिति को ऊपर उठाने के लिये कटिबद्ध होगा। समुदाय से सहयोग प्राप्त करने में ग्राम विद्यालय को ही पहल करनी होगी और अपनी सेवाएँ ग्राम समुदाय तक पहुँचानी होंगी। गाँवों में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार कार्यों की सफलता के लिये समुदाय को जागृत एवं शिक्षित बनाना होगा और इसके लिये विद्यालय ही सामुदायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र बने। इस दृष्टि से विद्यालय का योग तीन प्रकार का हो सकता है— (1) ग्रामीण जीवन के अनुरूप ही बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय, (2) पाठशाला में नवयुवकों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं (3) विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र बनाने के लिये गाँव वालों से निकटतम सम्बन्ध स्थापित करना।

विद्यालय से यह अपेक्षा की जा रही है कि समुदाय और विद्यालय के बीच सम्बन्धों की शुरुआत करने में वह ही स्वयं पहल एवं नेतृत्व करे। विद्यालय को समुदाय का बौद्धिक अंग माना गया है। इस दृष्टि से नेतृत्व उसी को करना है। उसे अपने क्षेत्र में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है कि समुदाय का जीवन विद्यालय के जीवन में प्रतिबिम्बित हो उठे। तभी शिक्षा की सार्थकता है। विद्यालय को देखकर लोग समुदाय के गुणों के बारे में आसानी से अनुमान लगा लें, इसीलिये विद्यालय में ऐसी ही बातों की शिक्षा दी जाय जो बालकों के चारों ओर के वातावरण से सम्बन्धित हो। इसे बालकों के अक्षर ज्ञान की शिक्षा ही न बनाकर जीवन, जीवन के पर्यावरण की शिक्षा, समाज शिक्षा, व्यवहार, अनुशासन, रहन-सहन, स्वास्थ्य, सफाई, अचरण, नैतिकता, गाँव की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि की शिक्षा बने। स्थानीय जीवन के विविध पहलुओं को पाठ्यक्रम के साथ सम्बन्धित करे। पाठशाला में दिया जानेवाला ज्ञान समुदाय की सामाजिक आर्थिक उन्नति में इसी प्रणाली से सहायक सिद्ध हो सकता है। बालकों के द्वारा आचरण, रहन-सहन, सफाई, स्वच्छता, नैतिकता, संस्कृति आदि की बातें समुदाय तक पहुँचाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय विविध मनोरंजक कार्यों, प्रौढ़ कक्षाओं, स्वच्छता एवं सफाई के आन्दोलनों, आदि के द्वारा गाँव के लोगों की सेवा कर सकता है।

प्राचीन काल में ग्राम शिक्षक समुदाय से अत्यधिक निकट था। सभी लोगों का विश्वासपात्र बनकर वह कार्यकर्ता था। विविध कार्यों में उसकी सहायता ली जाती थी। पर धीमे-धीमे शिक्षक एवं समुदाय के संबंध दूर होते गये। शिक्षक ने अपनी सेवाएँ समुदाय को देना बन्द कर दिया और अपने को विद्यालय की चहारदीवारी में बन्द कर दिया। अब पुनः शिक्षक के उस परम्परागत योग को सक्रिय करने की अपेक्षा की जा रही है। उसके पास स्वयं की योग्यता के अलावा बालकों की एक बहुत बड़ी सेना है जिनके द्वारा वह घर-घर पहुँच सकता है। वही एक ऐसा साधन है जिसकी गाँव में सर्वाधिक पहिचान है, प्रत्येक परिवार में जिसके लिये जगह है, बालकों के द्वारा वह प्रत्येक जगह पहुँच सकता है। ऐसे उत्तम माध्यम का उपयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम में करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ग्राम सेवक एवं अन्य कोई भी कार्यकर्ता ग्रामीणों तक इतनी निकटता से नहीं पहुँच पाता जितना अध्यापक पहुँच सकता है। छात्रों की बड़ी सी सेना के द्वारा वह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सकता है। उसकी इस पहुँच का लाभ समुदाय को जागृत करने, उसके सामाजिक, आर्थिक विकास करने में उठाया जा सकता है।

**ग्राम शिक्षक एवं विद्यालय के योगदान का रूप—** उक्त विवेचन से विद्यालय के बढ़ते हुए उत्तरदायित्व का आभास मिलता है। विभिन्न क्रियाओं एवं विकास कार्यों को वह पाठ्यक्रम का अंग मानकर समुदाय के साथ सम्मिलित होकर सम्पादित करेगा। यह कार्य दो दृष्टियों से सम्पन्न हो सकेगा— (1) शिक्षा समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जायेगी और आने वाले समय में बालकों को समुदाय के योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जायेगा एवं (2) विद्यालय अपने शिक्षकों एवं बालकों के साथ समुदाय में पाई जाने वाली अन्य संस्थाओं के सहयोग से समुदाय की सामाजिक आर्थिक उन्नति में योग देगा। विद्यालय को ये दोतरफा कार्य सम्पन्न करने होंगे। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये ग्राम विद्यालय निम्न कार्यों को सम्पादित कर सकता है।

**ग्रामीण समुदाय की शिक्षा—** विद्यालय बालकों के साथ समुदाय के अन्य लोगों को भी शिक्षा देने का कार्य करे। इस कार्य में विकास कार्यकर्ताओं का भी योग लिया जा सकता है। गाँव की भाषा में, वे गाँव की बातों की, गाँव के विकास की शिक्षा आसानी से दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत गाँव के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं की शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा के इस रूप को वह ग्रामीण आवश्यकताओं एवं समस्याओं से सम्बद्ध करे। ग्राम शिक्षक पंचायतों एवं सहकारी समितियों की बैठकों में भी ग्रामीण भाषा के प्रयोग द्वारा गाँव वालों को शिक्षात्मक बातें बता सकता है।

**बच्चों को सामुदायिक अनुभवों की शिक्षा—** विद्यालय उन सभी बातों की जानकारी बच्चों एवं ग्राम के लोगों को दे जो बातें शिक्षक एवं बालक अपने ग्रामीण पर्यावरण से सीखते हैं। इसके द्वारा क्षेत्रीय अनुभवों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जोड़ा जा सकेगा। बच्चों पर समुदाय के प्रभाव को अंकित करने एवं उसे समुदाय के अनुकूल बनाने के लिये इसी माध्यम का आश्रय लेना होगा।

**विद्यालय अनुभवों को समुदाय में पहुँचाना—** बच्चों को दिये जाने वाले ज्ञान एवं विविध बातों की जानकारी का उपयोग गाँव वालों तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी ग्राम शिक्षकों को लेना चाहिये। स्वच्छता, सफाई, अनुशासन, रहन-सहन विविध बातों के बारे में बालक अपने अनुभवों से उनके परिवारों को लाभान्वित कर सकता है। समुदाय की आवश्यकताओं के बारे में पाठशाला में दिये जाने वाले ज्ञान को भी समुदाय तक पहुँचाया जा सकता है।



**शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रति समुदाय की रुचि जागृत करना-** विद्यालय एवं शिक्षक इस बात में भी प्रयत्नशील होने चाहिये कि वे विद्यालय में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करें एवं सामुदायिक आवश्यकताओं एवं उनकी पूर्ति की ऐसी बातें बतावें जिससे समुदाय विद्यालय के प्रति अत्यधिक जागरूक हो जाये। उस स्थिति में समुदाय के द्वारा विद्यालय वित्तीय एवं नैतिक क समर्थन प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

**सामुदायिक कार्यक्रमों में बच्चों को सम्मिलित करना-** शिक्षक अच्छे प्रभावशाली ढंग से बालकों को ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रमों में यथा स्वच्छता आन्दोलन, मलेरिया विरोधी अभियान, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि में लगा सकता है। और इस पहल से समुदाय के लोगों में भी जागरूकता पैदा हो सकेगी।

**प्रौढ़ कक्षाओं का संचालन-** प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षक से उपयुक्त और कोई दूसरा साधन नहीं है। रात्रि में अधिकतर प्रौढ़शालाएँ चलती हैं एवं ग्रामीण उपलब्ध होते हैं। इसलिए न्यून वेतन या पारिश्रमिक देकर अध्यापक को इसके लिए तैयार किया जा सकता है।

**सामुदायिक केन्द्र के रूप में विद्यालय-** विद्यालय समुदाय का प्रतिबिम्ब बने, इसके लिए उसे समुदायिक क्रियाओं का केन्द्र बनाना अनिवार्य है। इसके लिए निम्न क्रियायें विद्यालय भवन में आयोजित की जा सकता हैं।

**वाचनालय एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था-** विद्यालय भवन समुदाय के ज्ञान की वृद्धि के लिए वाचनालय एवं पुस्तकालय के रूप में कार्य कर सकता है और अपनी सुविधाओं को समुदाय को प्रदान कर सकता है। ग्रामीण विकास, उसको आवश्यकताएँ, समस्याएँ, वार्षिक प्रगति आदि के सम्बन्ध में विविध सरल बोधगम्य चार्ट आदि वहाँ लगाये जा सकते हैं।

**अभिभावक दिवस-** विद्यालय में प्रति मास या समय-समय पर बालकों के माता-पिताओं एवं संरक्षकों की बैठक आयोजित की जानी चाहिये और विद्यालय की गतिविधियों के सम्बन्ध में और बालकों के विकास के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। ग्राम सेवक, सरपंच, पंच, सहकारी समिति के सदस्य आदि भी इसमें भाग ले सकते हैं और विद्यालय के योग एवं कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं।

**युवक मण्डल-** ग्रामीण विद्यालय की गतिविधियों को ग्राम में पाये जाने वाले युवक दलों से सम्बन्धित करना चाहिए। ऐसा करने से बालकों के साथ-साथ सहयोग से विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे।

**अच्छे रहन-सहन के सम्बन्ध में प्रदर्शन-** विद्यालय विविध कार्यक्रमों के लिए अच्छे प्रदर्शन-स्थल के रूप में भी कार्य कर सकता है। शौचालय, मूत्रालय का प्रदर्शन, विधि की उन्नत विधियों का प्रदर्शन, स्वच्छता एवं सफाई की बातों का प्रदर्शन आदि के लिए विद्यालय उपयुक्त स्थान है।

**सांस्कृतिक कार्यक्रम-** विद्यालय विविध सांस्कृतिक क्रियाओं का भी केन्द्र बनाया जा सकता है। समाज विकास के सम्बन्ध में विविध एकांकी, नाटक, भजन मंडली आदि वहाँ आयोजित किये जा सकते हैं। खेल-कूद, दंगल, रस्साकसी आदि के खेलों की भी विद्यालय व्यवस्था कर सकता है जिसमें समुदाय के लोगों को भी भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया जाय।

**ग्राम-शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य-** ग्राम शिक्षक पर उपरोक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आने के पश्चात् यह अनिवार्य है कि उसे समुचित प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभा सके। अभी तक शिक्षक यह भूला हुआ था कि समुदाय के प्रति भी उसका कुछ दायित्व है जिसका कि विद्यालय एक भाग है। इस विषय में शिक्षक को जागरूक बनाने में प्रशिक्षण संस्थानों को भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। वे शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे शिक्षक गाँवों में जाकर समुदाय के साथ सम्पर्क एवं घनिष्ठता स्थापित कर सके और उन्हें अपने ज्ञान का लाभ प्रदान कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शिक्षक के दृष्टिकोण को विस्तृत करना, जिम्मेदारियों का गम्भीरतापूर्वक अनुभव कराना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विषयों व तरीकों आदि की पर्याप्त जानकारी देना, ग्रामीण समुदाय के ढाँचे, संस्थाओं एवं समस्याओं के बारे में परिचय प्राप्त करने का ज्ञान देना और विद्यालय के पाठ्यक्रम में उनको स्थान देने की योग्यता प्रदान करना, ग्रामीण युवकों एवं प्रौढ़ों से सम्पर्क, मेल-जोल बढ़ाने की प्रणाली का ज्ञान कराना, ग्रामीणों के सहयोग को प्राप्त करने की विधि बताना, विविध सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, क्रियान्वय एवं मूल्यांकन करने की क्षमताएँ विकसित करना आदि बातों को शिक्षा ग्राम-शिक्षकों को मिलनी चाहिए। तभी जाकर ग्राम शिक्षक ग्राम विद्यालय को समुदाय के लिये उपयोगी संस्था बनाने में सफल हो सकेगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. दिनकर देसाई : प्राथमिक एजुकेशन इन इण्डिया।
2. गुप्ता एम०एल०, शर्मा डी०डी० : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1990.
3. शारदा देवी : शिक्षा की समस्याएँ, उत्सव प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. महात्मा गाँधी, मेरे सपनों का भारत, उद्धत रचना, जुलाई-अगस्त, 1997, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
5. दैनिक जागरण, 2012.
6. सरला दूबे : ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रकाश बुक डिपो, बरैली (उत्तर प्रदेश)।

\*\*\*\*\*